बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़) राज०

27/8/25 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश की गई। कुलाप फाइलेन उप०। हमने पत्रावली का अध्ययन किया

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

किया गया) बहस वकील पर
मनन किया गया । वादी / प्रार्थी का
प्रा० पत्र प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया
जाता है । पत्रा. विस्तृत निर्णय अलग
से लिखा जाकर आ०कि० किया
गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर लेकर मीयाद बाद दाखिल
दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र नम्बर :– 02 / 2019

दायर दिनांक :– 11.10.19

निर्णय दिनांक :– 27/8/25

उनवान

1. विजय पाल पुत्र जयराम जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड।

.........प्रार्थी

बनाम

1. दिलकौर बेवा किशोरीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़। ....मृतक
2. कर्णसिंह पुत्र किशोरीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड। ....मृतक

2/1. राकेश पुत्र कर्णसिंह जाति अहीर निवासी बाटखानी तहसील बहरोड़।

2/2. मन्जु पुत्री कर्णसिंह जाति अहीर निवासी बाटखानी तहसील बहरोड़।

2/3. कविता पुत्री कर्णसिंह जाति अहीर निवासी बाटखानी तहसील बहरोड़।

2/4. सुशीला पत्नी कर्णसिंह जाति अहीर निवासी बाटखानी तहसील बहरोड़।

3. सुरेन्द्र पुत्र किषोरीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
4. कौशल्या पुत्री किषोरीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
5. सरोता पुत्री किषोरीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
6. नेमीचन्द पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर निवासी बाटखानी तहसील बहरोड़।
7. बलवन्त पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
8. रामबाबू पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर निवासी बाटखानी तहसील बहरोड़।
9. माया पुत्री सुल्तानसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
10. मिश्री बेवा अमरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
11. राजवीर पुत्र अमरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
12. नरेन्द्र पुत्र अमरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
13. अनिल पुत्र अमरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
14. अनिता पुत्री अमरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
15. सरजीत पुत्र हजारीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
16. रमेश पुत्र हजारीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
17. संतोष बेवा भूपसिंह जाति अहीर निवासी निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
18. राजेन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति अहीर निवासी बाटखानी तहसील बहरोड़।
19. कृष्ण कुमार पुत्र हजारीलाल जाति अहीर ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
20. सन्तरा बेवा दलीपसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
21. लाली देवी पत्नी विजयपाल जाति अहीर निवासी बाटखानी तहसील बहरोड़।
22. मेहरचन्द पुत्र रूडाराम जाति निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़।
23. बहादुर पुत्र चुन्नाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़। ....मृतक

23/1. विक्रम पुत्र बहादुर

23/2. धर्मेन्द्र पुत्र बहादुर

23/3. विरेन्द्र पुत्र बहादुर समस्त जाति अहीर निवासी बाटखानी तहसील बहरोड़।

24. छोटा पुत्री किशोरीलाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत दिलाये जाने रास्ता 20 फिट आराजी खसरा नम्बर 52 व 53 वाके मौजा नंगलारूघ तहसील बहरोड

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

उपस्थित :–

1. श्री हंसराज यादव वकील प्रार्थी
2. श्रोहिताश्व कुमार यादव वकील अप्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय पेष कि गई। प्रार्थी के वकील उपस्थित है। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज0 अभिधृति अधि0 के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी का खसरा नम्बर 52 व 53 वाके मौजा नंगलारूध में स्थित है। अप्रार्थी बहादूरसिंह व प्रार्थी ने खसरा नम्बर 52 में मकान बना रखे है तथा रिहायष कर रखी है व कुआ बना कर रहते है। अप्रार्थीगण उपरोक्त आराजी के सहखातेदार है तथा आराजी खसरा नम्बर 52.53 मे मुताबिक नक्शा पगडण्डी है लेकिन रास्ता नहीं है जिससे उँट गाडी बैल गाडी ले जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी ने मौका का नजर नक्शा बनाकर पेश किया जिसमे खसरा नम्बर 52 मे मकान बहादूर सिंह व मकान विजयपाल सिंह दर्शाये गये है हरे रंग से पगडण्डी दर्शायी गयी है व लाल रंग से दर्शित 85 फुट लम्बा व 35 फुट चौडा रास्ता की अति आवश्यकता है जो खसरा नम्बर 53 मे दिया जाना न्याय संगत है प्रार्थी के पास अपने मकान व खेतो पर जाने के लिए कोई रास्ता नही है जब कि प्रार्थी हमेशा से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरिये नक्शा में दर्शाया गया लाल रंग की जगह से आता–जाता रहा है व रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग करता रहा है लेकिन रिकार्ड मे रास्ता दर्शित नहीं है। उक्त रास्ता के अलावा मिन प्रार्थी के रिहायशी मकान व कुआ पर जाने का किसी दूसरी जगह से कोई रास्ता नही है। इसलिए मिन प्रार्थी के मकानो तक आने जाने के लिए रास्ता दर्ज किया जाने की प्रार्थना की गई ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2017 को आदेश जारी किया गया कि **"प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम हमजापुर व नंगलारूध के बोर्डर से ग्राम हमजापुर से बाटखानी जाने वाला रास्ता पर स्थित खसरा नम्बर 52 की उत्तरी डोल मध्य से शुरू होकर खं. नं. 53 की पूर्वी डोल के सहारे सहारे खसरा नम्बर 52 मे प्राथर्थी के मकानो तक उत्तर से दक्षिण लम्बा व 20 फुट चौड़ा गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, बहरोड को आदेश दिया जाता है कि उक्त घोषित गैर मुमकिन रास्ता की लम्बाई –चौड़ा के मुताबिक पैमाईश कर, रास्ता भूमि का बटा नम्बर कायम कर, गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात, खसरा गिरदावरीजात व नक्शा ट्रेस मे गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 52 व 53 मे से गैर मुमकिन रास्ता मे जितनी जितनी भूमि जाती है वह भूमि उक्त दोनो खसरा नम्बरो मे प्रार्थी के खातेदारी हिस्से मे से कम किया जावे शेष खातेदारी हिस्से बदस्तूर रखा जाने का आदेश दिया जाता है।"** न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्व अप्रार्थीगणो द्वारा भू–प्रबन्धक अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर में अपील दायर की गई। श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.07.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को इस न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभय पक्षकारान की पुनः सुनवाई कर, उभय पक्षो की मोजुदगी में कम से कम भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के कर्मचारी से मौका रिपोर्ट तैयार करवाने के पश्चात, उभय पक्षो को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर धारा 251(क) आर0टी0एक्ट में दिये गये प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित किया जावे।

माननीय भू–प्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 16.12.2021 की पालना में प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, पक्षकार को वास्ते साक्ष्य हेतु नोटिस जारी कर तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 15 व 20 जरिये अधिवक्ता के उपस्थित आये एवं अन्य अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा तहसीलदार बहरोड को मौका की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपुतली–बहरोड)

तहसीलदार बहरोड़ ने अपने पत्र क्रमांक/आर.ए./2022/818 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा विवादित रास्ता के संबन्ध में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

हमने प्रार्थी के वकील की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया। प्रार्थी की आराजी में आने-जाने हेतु रास्ता 35 फूट चौड़ा अप्रार्थी के खसरा नम्बर 53 रकबा 5.55 में से नक्शा में दर्शाये ब्लू प्रिन्ट के मुताबिक व खसरा नम्बर 52 में से आम रास्ता जो हमजापुर से बाटखानी को जाता है। वहा तक दर्शित किया गया है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गहन विशलेषण किया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) में अन्य खातेदारी जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग को विस्तार करना को अभिधारित किया है। उक्त धारा 251(क) दो पूर्व शर्तो को आरोपित करती है जो है-

1. खातेदार भूमि में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता।
1. रास्ता हेतु अन्य विकल्प की अनुपरिथति।
2. खातेदार जिस रास्ते की मांग कर रहा है। उसका रूट निकटतम दूरी का होना अतिआवश्यक है।

इस प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। तहसीलदार बहरोड़ द्वारा पटवारी हल्का व भू0 अभि0 निरीक्षक की रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध करवायी है। जिसमें अंकित किया है की प्रार्थी के खेत तक पहूंचने हेतु अन्य सुगम/सुक्ष्म रास्ता खसरा नं. 52 व 53 वाके ग्राम नंगलारूध खसरा नम्बर 53 की पूर्वी ढोल के साथ सलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.03.2022 व 27.06. 2025 में नजरी नक्शा में लाल रगं से दर्शित किया रास्ता रहेगा। जिसका नजरिये नक्शा उपलब्ध करवाया है। दिनांक 27.06.2025 को उभय पक्कारो की उपस्थिती में उक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें प्रकरण में आपसी सहमति करने की बात कही कि हम कुछ दिनो में आपसी सहमति कर लेगे बाबत अंकित किया गया।

पक्षकारो द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 08.07.2025 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसमें पक्षकरो द्वारा निम्न प्रकार से राजीनामा प्रस्तुत किया गया :-

1. यह है कि उक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान् जिलाधीश के समक्ष विचाराधीन है जिसमें नियत तारीख पेशी दिनांक 08.07.20.25 की नियत है।
2. यह है कि हम पक्षकारान निवासी वाके ग्राम बाटखानी तहसील बहरोड़ हाल आबाद नंगलारूध तहसील बहरोड के रहने वाले हैं। लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हम पक्षकारान ने आपसी सहमति से विवादित आराजी का राजीनामा इस प्रकार कर लिया है कि आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 5.526 हैक्टेयर वाके ग्राम नंगलारूध तहसील बहरोड़ में प्रतिवादी संख्या 20 सन्तरा बेवा दलीप जाति अहीर 58/921 (0.34 हैक्टेयर, 80 वर्गमीटर) हिस्सा दर्ज हो। उक्त खसरा नम्बर असल प्रतिवादी संख्या 20 के हिस्से में से (0.0109 हैक्टेयर) को कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 के नाम नया नम्बर अंकित कर गैर मुमकिन रास्ते के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावे।
3. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 5.526 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 20 के हिस्से में से 0.0109 वर्गमीटर जमाबन्दी रिकार्ड में नक्शा ट्रैस में वादी संख्या 1 गैर मुमकिन रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कायम करने में आपसी सहमति प्रदान करते हैं। उक्त राजीनामें की आपसी सहमति से प्रतिवादी संख्या 20 का उक्त खातेदारी में से जितना रकबा कम हुआ है उसकी ऐवज में वादी संख्या 01 से 1,00,000/- रूपये शब्देन एक लाख रूपये की डी.डी. संख्या 006177 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बर्डोद से व 3,00,000/-रूपये शब्देन तीन लाख रूपये जरिये आर.टी.जी.एस. UTR NO- 52025070814327422 से प्राप्त कर लिया है।
4. यह है कि उक्त राजीनामा आपसी सहमति से खसरा नम्बर 53 वाके ग्राम नगलारूध प्रतिवादी संख्या 20 उक्त खातेदारी अपने हिस्से में से वादी संख्या 01 को जो 13X92

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपुतली-बहरोड़)

फिट जिसका क्षेत्रफल 0.0109 वर्गमीटर दिया उसका खुर्द बुर्द नक्शा ब्लूप्रिन्ट नक्शा राजीनामा के अनुसार संलग्न कॉपी पेश है।

5. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 53/433 रकबा 0.0240 हैक्टेयर गैर. मु. रास्ता वाके ग्राम नंगलारूध जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी विजयपाल पुत्र जयराम की खातेदारी में दर्ज है इसको कलमजन किया जाकर राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जावे।
6. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 52/435 रकबा 0.01 गैर मु. रास्ता वाके ग्राम नंगलारूध, वादी विजयपाल पुत्र जयराम के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बदस्तूर रखा जावे।
7. यह है कि इस राजीनामा के आधार पर सभी पक्षकार विधिक वारिसान पाबन्द रहेगें भविष्य में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
8. अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि उक्त राजीनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज अंकित किये जाने की कृपा करे।

प्रकरण में धारा 251(क) के विधिक प्रावधानो के संदर्भ में प्रार्थी हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकोर्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार बहरोड़ की मौका रिपोर्ट मय नजरिय नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा (क) स्वीकार होने योग्य पाया जाता है। अतः तहसीलदार बहरोड़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.04.2022 एवं 02.07.2025 की मौका जांच रिपोर्ट मय नजरिये नक्शा के अनुसार आराजी खसरा 52 व आराजी खसरा नम्बर 52 तक वाके ग्राम नंगलारूध तहसील बहरोड की पूर्वी ढोल के साथ 13 फुट चौड़ा रास्ता जिसे सलग्न नजरी नक्शा में लाल रगं से दर्शित गैर मु0 रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक राजस्व रिकोर्ड में नियमानुसार दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

प्रार्थना पत्र राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बहरोड़ को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 01.04. 2022 एवं 02.07.2025 की मौका जांच रिपोर्ट मय नजरिये नक्शा के अनुसार आराजी खसरा 52 व 53 तक वाके ग्राम नंगलारूध में खसरा नम्बर 53 की पूर्वी ढोल के साथ 13 फुट चौड़ा रास्ता जिसे सलग्न नजरी नक्शा में लाल रगं से दर्शित गैर मु0 रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सरकार) नियम 68 लगायत 70 के अनुसार एवं मुताबिक राजीनामा के नियमानुसार उक्त रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। दिनांक 01.04.2022 एवं 02.07.2025 की मौका जांच रिपोर्ट नजरिये नक्शा एवं राजीनामा इस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार बहरोड़ को भिजवायी जावे।

आज दिनांक 27/8/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)